दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

निर्णय सुरक्षित: 09.01.2024
निर्णय उद्घोषित: 15.01.2024

रि.या.(सि.) 15768/2023 तथा सि.वि.आ.63333/2023 (रोक)

अनिल कुमार भारती .....याचिकाकर्ता

बनाम

इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड .....प्रत्यर्थी

<u>इस मामले में उपस्थित हुए अधिवक्तागण:</u>

याचिकाकर्ता हेतु : श्री के. सी. मित्तल एवं मोबीना खान, अधिवक्तागण

प्रत्यर्थी हेतु : श्री प्रियंका दास, अधिवक्ता

कोरमः
माननीय न्यायमूर्ति श्री तुषार राव गेडेला

<u>निर्णय</u>

<u>न्या. तुषार राव गेडेला</u>

<u>[हाइब्रिड मोड के माध्यम से कार्यवाही की गई है]</u>

1. याचिकाकर्ता द्वारा निम्नलिखित अनुतोषों की मांग करते हुए वर्तमान रिट याचिका दायर की गई है:

> *"(क) इस विस्तार तक दिनांक 13.11.2023 के परिपत्र को अभिखंडित एवं अपास्त किया जाए जहां एलडीसीई के लिए विचार हेतु पात्रता तिथि दिनांक 01.07.2022 के बजाय दिनांक 13.11.2023 के रूप में अधिसूचित की गई है।*

(ख) अभिनिर्धारित एवं घोषित किया जाए कि लागू भर्ती नियम के अनुसार, याचिकाकर्ता भर्ती नियम के नियम 4.6 के अनुसार एएम (ई-2) के पद पर दिनांक 01.07.2022 से अपनी पात्रता का हकदार है। नतीजतन, याचिकाकर्ता डीजीएम (ई-4) पद पर पदोन्नति हेतु विचार किए जाने का हकदार है तथा लिखित परीक्षा में शामिल होने का हकदार है।

(ग) ऐसे अन्य या अतिरिक्त आदेश पारित किए जाए जो वर्तमान मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों में उचित तथा उपयुक्त समझे जाएं।"

2. रिट याचिका से एकत्रित किया गया याचिकाकर्ता का मामला निम्नानुसार है:

2.1 यह कि याचिकाकर्ता को प्रत्यर्थी द्वारा दिनांक 03.04.2006 से अनुसूचित जाति उम्मीदवार के रूप में पर्यवेक्षक (वित्त) (एस-2 ग्रेड) के रूप में नियुक्त किया गया था। याचिकाकर्ता का मामला है कि वह तीन वर्ष पूर्ण होने पर वरिष्ठ पर्यवेक्षक (एस-3 ग्रेड) के रूप में पदोन्नति का पात्र हो गया। हालांकि, याचिकाकर्ता को दिनांक 06.04.2009 को पदोन्नत किया गया था।

2.2 याचिकाकर्ता को भर्ती नियमों के नियम 7.1 के अनुसार वरिष्ठ पर्यवेक्षक से मुख्य पर्यवेक्षक (एस-3 ग्रेड) में पदोन्नत किया गया था क्योंकि याचिकाकर्ता तीन साल पूरे होने पर पदोन्नति का पात्र हो गया था और दिनांक 09.10.2012 से पदोन्नत किया गया था। चूंकि याचिकाकर्ता का कैडर बदल दिया गया था, इसलिए भर्ती नियमों के तहत पदोन्नति हेतु नियम 8 के अनुसार, याचिकाकर्ता को परीक्षा के माध्यम

से दिनांक 02.02.2016 से प्रभावी चयन के माध्यम से (ई-0) ग्रेड में कार्यपालक संवर्ग में पदोन्नत किया गया था तथा बाद में समयबद्ध पदोन्नति के रूप में चयन के सकारात्मक अधिनियम के बिना दिनांक 08.02.2019 से ई-1 ग्रेड में वरिष्ठ कार्यपालक के रूप में पदोन्नत किया गया। भर्ती नियमों के नियम 10 के अनुसार विभागीय चयन में अर्हता प्राप्त करने के बाद याचिकाकर्ता को सहायक प्रबंधक (ई-2 ग्रेड) के पद पर पदोन्नत किया गया था।

2.3 यह याचिकाकर्ता का मामला है कि याचिकाकर्ता तदनुसार जुलाई, 2022 में सहायक प्रबंधक (ई-2) के पद पर पदोन्नति का पात्र हो चुका था हालांकि, इस पर विचार नहीं किया गया तथा दुर्भावनापूर्ण एवं मनमाने ढंग से आगामी पदोन्नति से वंचित कर दिया गया, जबकि रिक्ति भी उपलब्ध थी।

2.4 यह कि प्रत्यर्थीगण ने अपने परिपत्र दिनांक 13.10.2014 के माध्यम से प्रत्यक्ष भर्ती कोटा रिक्ति के खिलाफ एलडीसीई नीति पेश की, जिसके लिए शैक्षिक/व्यावसायिक योग्यता 2007 के भर्ती नियमों के तहत निर्धारित की गई थी तथा उक्त परीक्षा प्रत्यक्ष भर्ती कोटा पदों के 50% के प्रति आयोजित की गई थी। यह कार्यपालक (ई-0 स्तर) और एएम (ई-2 स्तर) के पद हेतु स्वतंत्र था लेकिन एक वर्ष की कोई अवधि निर्धारित नहीं की गयी थी बल्कि एलडीसीई में संबंधित पद के लिए पात्रता हेतु

आईआरसीटीसी में सेवा की अवधि को वर्षों के अनुभव के रूप में लिया जाना था।

2.5 यह कि प्रत्यर्थी ने कार्यपालक (ई-0 स्तर), एएम (ई-2 स्तर) और डीजीएम (ई-4 स्तर) के पद हेतु परीक्षा आयोजित करने के लिए एलडीसीई नीति दिनांक 12.12.2018 के लिए एक परिपत्र जारी किया तथा उक्त परिपत्र में, प्रत्यर्थीगण को परीक्षा में शामिल होने के लिए न्यूनतम पात्र श्रेणी/ग्रेड में एक वर्ष की सेवा होनी अपेक्षित थी।

2.6 यह कि प्रत्यर्थी ने दिनांक 13.11.2023 को एक परिपत्र जारी किया जो एलडीसीई नीति दिनांक 13.10.2014, 12.12.2018, 23.05.2019 और 09.01.2020 के तथाकथित संदर्भ में बताया गया है, जिसे एलडीसीई के माध्यम से डीजीएम ग्रेड ई-4 के पद हेतु यहां लागू किया गया है। याचिकाकर्ता का मामला है कि इस नीति के द्वारा, प्रत्यर्थीगण ने पात्रता हेतु कट-ऑफ तिथि को दिनांक 13.11.2023 में बदल दिया, जो प्रत्यर्थी पर लागू भर्ती नियम के बिल्कुल विपरीत है क्योंकि भर्ती नियम के अनुसार प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई को पात्रता हेतु कट-ऑफ तिथि निर्धारित की जाती हैं। आगे यह तर्क दिया गया कि याचिकाकर्ता की ई-2 स्तर पर पदोन्नति में प्रत्यर्थीगण द्वारा दुर्भावनापूर्ण और मनमाने ढंग से देरी की गई, क्योंकि याचिकाकर्ता 1 जुलाई, 2022 को भर्ती नियम के अनुसार पात्र हो गया था, जबकि रिक्तियां अनुसूचित जाति (एससी) श्रेणी

में भी उपलब्ध थीं और याचिकाकर्ता को बिना किसी विलंब के पदोन्नत किया जाना चाहिए था।

2.7 यह कि प्रत्यर्थीगण ने वित्त विभाग में ग्रेड ई-2 में पदों को भरने के लिए दिनांक 21.09.2020 को परिपत्र जारी किया।

2.8 दिनांक 02.11.2022 के पत्र के माध्यम से, याचिकाकर्ता ने प्रत्यर्थी के खिलाफ अभ्यावेदन दिया कि याचिकाकर्ता ने ग्रेड ई-1 में 3 साल तथा 4 महीने का कार्यकाल पूरा कर लिया है और नीति के अनुसार, चयन प्रक्रिया के माध्यम से ई-1 ग्रेड में तीन वर्ष पूरे करने पर वह पात्र हो गया लेकिन आठ महीने का समय बीत जाने के बाद भी चयन प्रक्रिया शुरू नहीं की गई। याचिकाकर्ता ने विभिन्न स्तरों पर बारंबार अनुरोध भी किया।

2.9 यह कि याचिकाकर्ता ने प्रत्यर्थी को अभ्यावेदन दिया लेकिन प्रत्यर्थी ने याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन को अस्वीकार कर दिया तथा याचिकाकर्ता को लिखित परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं देने एवं डीजीएम (ई-4) के पद पर पदोन्नति के लिए विचार करने का निर्णय लिया। याचिकाकर्ता ने दिनांक 16.10.2023 के पत्र के माध्यम से प्रत्यर्थी से अनुरोध किया कि याचिकाकर्ता को लिखित परीक्षा में उपस्थित होने और डीजीएम (पी-4) के पद के लिए विचार करने की अनुमति दी जाए।

3. प्रत्यर्थी द्वारा अभ्यावेदन की अस्वीकृति से व्यथित होकर वर्तमान याचिका दायर की गई थी।

4. याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री के. सी. मित्तल निम्नलिखित प्रस्तुत करते है:-

i. याचिकाकर्ता ने परिपत्र दिनांक 13.11.2023 को चुनौती दी है जिसके तहत प्रत्यर्थी ने पात्रता शर्तों के खंड 2 से व्यथित होकर आईआरसीटीसी के वित्त संवर्ग में डीजीएम (ई-4) ग्रेड में सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा (एलडीसीई) के संबंध में अधिसूचना जारी की है जैसा कि उसमें कहा गया है।

ii. पात्रता की शर्तें, निम्नानुसार हैं:-

"2. पात्रता मानदंड निर्धारित करने के लिए कट-ऑफ तिथि इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि अर्थात् दिनांक 13.11.2023 है।"

iii. श्री मित्तल के अनुसार, जहां तक प्रत्यर्थी सं. 1 का संबंध है, कट-ऑफ की शर्त अपने आप में मनमाने ढंग से और लागू की गई पदोन्नति नीति के विपरीत है।

iv. श्री मित्तल इस न्यायालय का ध्यान उपाबंध पी-10, 'संशोधित आईआरसीटीसी पदोन्नति नीति एवं नियम - 2014' दिनांक 21.04.2014 की ओर विशेष रूप से खंड 4.6 की ओर आकर्षित करते हैं, जो एक विशेष पदोन्नति वर्ष के संबंध में रिक्तियों का आकलन है।

v. खंड 4.6 यहाँ निम्नलिखित रूप से उद्धृत किया गया है:-

"4.6 रिक्तियों का मूल्यांकन प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई को किया जाएगा। रिक्तियों का मूल्यांकन निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) वर्ष के 1 जुलाई को मौजूद

(ख) एक ही समूह के उच्च ग्रेड में मौजूद रिक्तियां

(ग) अगले एक वर्ष में उक्त समूह के ग्रेड और उच्चतर ग्रेड में अपेक्षित रिक्तियां

(घ) अप्रत्याशित परिस्थितियों को पूरा करने हेतु ग्रेड में 20 प्रतिशत पद

पात्रता की अंतिम तिथि वर्ष की 1 जुलाई होगी।"

vi. उपरोक्त नीति और विशेष रूप से खंड 4.6 पर भरोसा करते हुए, विद्वान अधिवक्ता श्री मित्तल का कहना है कि जहां तक पदोन्नति का प्रश्न है, यह प्रत्यर्थी पर निर्भर था कि वह सभी रिक्तियों का मूल्यांकन करे, चाहे वह पदोन्नति द्वारा हो या सीधी भर्ती द्वारा, जो प्रत्येक वर्ष दिनांक 1 जुलाई को उत्पन्न होती है और पदग्राही, जो विचार क्षेत्र में हैं, उन पर विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा विचार किया जाना चाहिए था।

vii. विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि वर्तमान मामले में हालांकि ई-2 ग्रेड के लिए रिक्तियां दिनांक 01.07.2022 तक उपलब्ध थीं, हालांकि, दिनांक 29.11.2022 की अधिसूचना द्वारा, उक्त रिक्तियों को ई-1 से ई-2 ग्रेड में पदोन्नति के उद्देश्य से देर से अधिसूचित किया गया था।

viii. याचिकाकर्ता ने बाद में आयोजित परीक्षाओं में भाग लिया था तथा अंतत: दिनांक 24.02.2023 को ई-2 के रूप में पदोन्नत किया गया था।

ix. श्री मित्तल के अनुसार, दिनांक 24.02.2023 को याचिकाकर्ता की पदोन्नति 2014 से अस्तित्व में मौजूद पदोन्नति नीति के विपरीत है तथा इस प्रकार वह प्रस्तुत करते है कि याचिकाकर्ता को दिनांक 01.07.2022 से भूतलक्षी प्रभाव से पदोन्नत माना जाना चाहिए था।

x. विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि, यदि ऐसा माना जाता है, तो याचिकाकर्ता दिनांक 13.11.2023 की अधिसूचना के पात्रता मानदंड के अंतर्गत आएगा, जिसमें याचिकाकर्ता ने पात्रता मानदंड के अनुसार न्यूनतम पात्रता की सेवा का एक वर्ष पूरा कर लिया होगा।

xi. श्री मित्तल प्रस्तुत करते हैं कि जहां तक पदोन्नति के भूतलक्षी प्रभाव का संबंध है, वर्तमान याचिका में पेश चुनौती न केवल दिनांक 13.11.2023 की अधिसूचना को दी गई है, बल्कि दिनांक 24.02.2023 के पदोन्नति पत्र को भी दी गई है।

xii. हालांकि दिनांक 24.02.2023 के आदेश को स्पष्ट रूप से चुनौती देने वाली कोई प्रार्थना नहीं है, हालांकि, श्री मित्तल आधार ग व घ सहित वर्तमान याचिका की प्रार्थना (ख) पर भी ध्यान आकर्षित करते हैं ताकि यह प्रस्तुत किया जा सके कि दिनांक 24.02.2023 के पदोन्नति आदेश हेतु चुनौती वर्तमान याचिका में मौजूद है।

xiii. विद्वान अधिवक्ता दिनांक 16.12.1996 को घोषित ***भारत संघ व अन्य बनाम एन. आर. बनर्जी व अन्य, (1997) 9 एससीसी 287*** में प्रकाशित मामले सहित ***पी.एन. प्रेमचंद्रन बनाम केरल राज्य व अन्य, (2004) 1 एससीसी 245*** में प्रकाशित मामले के निर्णयों पर भरोसा करते हैं।

xiv. विद्वान अधिवक्ता अपने तर्कों को पुष्ट करने के लिए उपरोक्त निर्णय पर भरोसा करते हैं कि यदि प्रशासनिक चूक के कारण डीपीसी समय पर आयोजित नहीं की जाती है तो यह पदधारी की पदोन्नति की तिथि पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डाल सकता है। वह प्रस्तुत करते हैं कि यदि उक्त विधि वर्तमान याचिकाकर्ता के मामले में लागू की जाती है तो रिक्तियों की अधिसूचना में देरी तथा दिनांक 24.02.2023 को पदोन्नति आदेश पारित करने में विलंब हेतु याचिकाकर्ता को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा।

xv. वह आगे प्रस्तुत करते हैं कि यदि उपरोक्त निर्णयों के विधि का सही तरीके और भावना से पालन किया जाता है, तो याचिकाकर्ता को दिनांक 01.07.2022 को पदोन्नत माना जाना चाहिए और वह स्वत: रूप से दिनांक 13.11.2023 के परिपत्र के प्रयोजनों हेतु पात्र हो जाएगा।

5. श्री मित्तल द्वारा उठाए गए तर्कों के विपरीत, प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता सुश्री प्रियंका दास ने प्रति शपथ-पत्र, विशेष रूप से पैरा 14 का उदाहरण देते हुए कहा कि रिक्तियों के लिए अधिसूचना दिनांक 29.11.2022 को जारी की गई है, लिखित परीक्षा दिनांक 23.12.2022 को आयोजित की जा

रही है तथा इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि दिनांक 30.12.2022 को वरिष्ठ कार्यपालक (ई-1) से सहायक प्रबंधक (ई-2) ग्रेड में पदोन्नति हेतु लिखित परीक्षा के परिणाम घोषित किए गए थे, वर्तमान याचिकाकर्ता को दो अन्य अभ्यर्थियों सहित सफल पाया गया तथा इसके बाद दिनांक 20.02.2023 के आदेश द्वारा याचिकाकर्ता की पदोन्नति को अलग से नहीं पढ़ा जा सकता है।

6. वह प्रस्तुत करती हैं कि याचिकाकर्ता, जिसे दिनांक 24.02.2023 को पदोन्नत किया गया था, परिपत्र दिनांक 13.11.2023 के माध्यम से एलडीसी परीक्षा के प्रयोजनों हेतु स्वत: अयोग्य हो जाएगा, चूंकि पात्रता शर्तों के अनुसार, परीक्षा में उपस्थित होने के लिए कर्मचारी के पास न्यूनतम पात्रता के रूप में श्रेणी/ग्रेड में एक वर्ष की सेवा होनी चाहिए।

7. विद्वान अधिवक्ता इस न्यायालय का ध्यान उक्त परिपत्र के खंड 2 की ओर भी आकर्षित करती हैं तथा प्रस्तुत करती हैं कि पात्रता निर्धारित करने की अंतिम तिथि 13.11.2023 थी और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि याचिकाकर्ता ने उस तिथि तक एक वर्ष तक की सेवा पूरी नहीं की थी, जहां तक एलडीसी परीक्षा का संबंध है, वह विचार किये जाने के लिए स्वत: ही अयोग्य हो जाएगा।

8. विद्वान अधिवक्ता सुश्री दास, ***भारत संघ व अन्य बनाम मनप्रीत सिंह पूनम व अन्य (2022) 6 एससीसी 105*** में प्रकाशित माननीय सर्वोच्च

न्यायालय के निर्णय पर भी भरोसा करते हुए प्रस्तुत करते है कि जब तक ऐसे नियम नहीं हैं जो भूतलक्षी पदोन्नति की अनुमति देते हैं, एक पदधारी की पदोन्नति उस तिथि को मानी जाएगी जिस दिन डीपीसी आयोजित की गई है एवं पदधारी का चयन किया गया है।

9. वह विशेष रूप से उक्त निर्णय के पैरा 18 पर भरोसा करती है, जो निम्नानुसार है:-

> *"18. केवल रिक्ति के अस्तित्व से किसी कर्मचारी के पक्ष में भूतलक्षी पदोन्नति का अधिकार नहीं बनता है, जब पदोन्नति पद में रिक्तियां विशेष रूप से नियमों के तहत निर्धारित की जाती हैं, जो चयन प्रक्रिया के माध्यम से मंजूरी को भी अनिवार्य बनाती हैं। पदोन्नति के मामले पर विचार करते समय यह भी ध्यान में रखना चाहिये कि नियमों के दो विभिन्न समूहों के बीच कभी भी समानता नहीं हो सकती है। दूसरे शब्दों में, पदोन्नति और उसके बाद के लाभों तथा वरिष्ठता का अधिकार केवल उक्त पदोन्नति को नियंत्रित करने वाले नियमों के संबंध में उत्पन्न होगा, न कि नियमों का एक विभिन्न समूह जो एक पदोन्नत पद पर लागू हो सकता है जिससे आगे पदोन्नति की सुविधा मिलती है जो नियमों के एक विभिन्न समूह द्वारा शासित होता है।"*

10. प्रत्युत्तर में, श्री मित्तल ***निर्मल चंद भट्टाचार्जी व अन्य बनाम भारत संघ, 1991 पूरक (2) एससीसी 363*** में प्रकाशित मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर भरोसा करते हुए प्रस्तुत करते हैं कि पदोन्नति उस तिथि से भूतलक्षी रूप से दी जा सकती है जब किसी विशेष पदोन्नति पद के संबंध में रिक्तियां उत्पन्न होगी। विशेष रूप से, विद्वान अधिवक्ता ने अपने तर्कों का समर्थन करने के लिये पैरा 4 से 6 पर भरोसा किया।

11. विद्वान अधिवक्ता ने ***मनप्रीत सिंह पूनम (पूर्वोक्त)*** मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अभिकथित विधि को समझने की कोशिश करते हुए यह कहा कि उपरोक्त निर्णय में जिन नियमों को व्याख्या हेतु उद्धृत किया गया वे वर्तमान मामले में नियम की स्थिति के समरूप या समान नहीं थे। वह प्रस्तुत करते हैं कि यह अतिसामान्य बात है कि नियमों के एक विशेष समूह की व्याख्या करने वाले किसी विशेष मामले में अभिकथित विधि किसी अन्य मामले के तथ्यों के अनुसार उनकी प्रयोज्यता को सुनिश्चित किए बिना नहीं किया जा सकता है, जिसे बिना समझे लागू किया जा रहा है। विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, ***मनप्रीत सिंह पूनम (पूर्वोक्त)*** का निर्णय वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होता है।

<u>विश्लेषण और निष्कर्ष</u>

12. इस न्यायालय ने याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री मित्तल और प्रत्यर्थी की विद्वान अधिवक्ता सुश्री प्रियंका दास की दलीलें सुनी हैं। विद्वान अधिवक्ता ने इस न्यायालय को अभिलेख पर मौजूद दस्तावेजों और जिन निर्णयों पर भरोसा किया, उनका भी अवलोकन किया।

13. इस मामले में जो मूलभूत प्रश्न उठता है, जिस पर इस न्यायालय को विचार करना है, वह यह है कि क्या कोई पदधारी भूतलक्षी प्रभाव से पदोन्नति का हकदार है।

14. इस संबंध में विधि काफी हद तक सुस्थापित है क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने ***भारत संघ व अन्य बनाम के. के. वढेरा व अन्य, 1989 पूरक 2 एससीसी 625*** में प्रकाशित मामले से शुरू होने वाले निर्णयों की श्रृंखला में यह अभिनिर्धारित किया था कि एक बार जब कोई पद किसी भी कारण से रिक्त हो जाता है, तो उस पद पर पदोन्नति पदोन्नति दिए जाने की तिथि से होनी चाहिए, न कि उस तिथि से जिस दिन ऐसा पद रिक्त होता है।

15. उक्त पंक्ति में अगला निर्णय ***भारत संघ व अन्य बनाम एनसी मुरली व अन्य, (2017) 13 एससीसी 575*** में प्रकाशित किया गया था, जबकि ***के. के. वढेरा (पूर्वोक्त)*** के निर्णय पर भरोसा करते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया था जब तक पदधारियों को रिक्तियां होने की तिथि से पदोन्नति प्राप्त करने का अधिकार देने वाला कोई विशिष्ट नियम नहीं है, तब तक पदोन्नति का अधिकार रिक्ति होने की तिथि पर स्पष्ट नहीं होता है और पदोन्नति उस तिथि पर दी जानी चाहिए जब यह वास्तव में प्रभावी हुई हो। इसी मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी अभिनिर्धारित किया था कि ऐसे मामले भी हो सकते हैं जहां पदोन्नति को वित्तीय लाभ सहित या उसके बिना भूतलक्षी रूप से देना पड़ सकता है। उदाहरण के तौर पर, मोहरबंद लिफाफा प्रक्रिया के मामलों में भूतलक्षी पदोन्नति देना अपवादों में से एक माना जाता था और वहां भूतलक्षी पदोन्नति का लाभ उस मामले में दिया जा सकता था

जहां वैधानिक नियम विशेष समय तक या रिक्ति होने पर पदोन्नति को प्रभावित करना अनिवार्य करते थे।

16. ***मनप्रीत सिंह पूनम (पूर्वोक्त)*** में सर्वोच्च न्यायालय के हाल के निर्णय में ***के. के. वढेरा (पूर्वोक्त)*** में अभिकथित विधि पर भी विचार किया गया तथा पैरा 18, 19 व 20 में निम्नलिखित टिप्पणियां प्रस्तुत की गईं: -

> *"**18.** केवल रिक्ति की उपलब्धता से किसी कर्मचारी के पक्ष में स्वतः भूतलक्षी पदोन्नति का अधिकार नहीं बन जाएगा, जब पदोन्नति पद में रिक्तियां विशेष रूप से नियमों के तहत निर्धारित की जाती हैं, जो चयन प्रक्रिया के माध्यम से मंजूरी को भी अनिवार्य बनाती हैं। यह भी ध्यान में रखना होगा कि जब हम पदोन्नति के मामले से निपटते हैं, तो नियमों के दो विभिन्न समूहों के बीच कभी भी समानता नहीं हो सकती है। दूसरे शब्दों में, पदोन्नति एवं पश्चात्वर्ती लाभों तथा वरिष्ठता का अधिकार केवल उक्त पदोन्नति को नियंत्रित करने वाले नियमों के संबंध में उत्पन्न होगा, न कि नियमों का एक अलग समूह जो आगे की पदोन्नति की सुविधा हेतु पदोन्नत पद पर लागू हो सकता है जो नियमों के एक अलग समूह द्वारा शासित होता है।*
>
> ***19.** वर्तमान मामले में, नियमों के तहत कार्य करने वाले प्राधिकारी ने दिनांक 17-4-2012 को डीपीसी के अनुमोदन के बाद दिनांक 1-7-2011 से पदोन्नति प्रदान की है, जब वास्तविक रिक्तियां उत्पन्न हुईं, जो किसी भी मामले में 2017 की सिविल अपील सं. 518 में प्रत्यर्थी को दिया गया लाभ है। हमारे विचार में, वास्तविक रिक्तियां उत्पन्न होने की तिथि से प्राधिकारी द्वारा भूतलक्षी पदोन्नति देने की शक्ति का यह प्रयोग वस्तुनिष्ठ विचारों और एक वैध वर्गीकरण पर आधारित है।*
>
> ***20.** भारत संघ बनाम के. के.* वढेरा *[भारत संघ बनाम के. के.* वढेरा*, 1989 पूरक (2) एससीसी 625: 1990 एससीसी (एलएंडएस) 127] में इस*

न्यायालय ने स्पष्ट रूप से निर्धारित किया है कि किसी पद पर पदोन्नति केवल पदोन्नति की तिथि से दी जानी चाहिए, न कि उस तिथि से जिस दिन रिक्ति उत्पन्न हुई है, और देखा गया है कि: (एससीसी पृष्ठ 627, पैरा 5)

> *"5. ... हम ऐसी किसी विधि या किसी नियम के बारे में नहीं जानते जिसके तहत किसी भी कारण से कोई पद रिक्त होने पर पदोन्नति, पदोन्नति पद के अस्तित्व में आने की तिथि से प्रभावी हो, उस पद पर पदोन्नति पदोन्नति दिए जाने की तिथि से होनी चाहिए, न कि उस तारीख से जब ऐसा पद रिक्त हो। इसी तरह जब अतिरिक्त पद उद्भूत होते हैं, तो उन पदों पर पदोन्नति तभी दी जा सकती है, जब मूल्यांकन बोर्ड बैठक कर पदोन्नति देने के लिए अपनी सिफारिशें कर दे। यदि इसके विपरीत, पदोन्नति को अतिरिक्त पदों के उद्भूत होने की तिथि से प्रभावी होने का निर्देश दिया जाता है, तो इसका प्रभाव मूल्यांकन बोर्ड की बैठक और पदोन्नति हेतु अभ्यर्थियों की उपयुक्तता का मूल्यांकन करने से पूर्व ही पदोन्नति देनी होगी। इन परिस्थितियों में, अधिकरण के निर्णय को बरकरार रखना कठिन है।"*

17. उपरोक्त निर्णयों में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित विधि के समग्र परिप्रेक्ष्य में यह कहा गया है कि कुछ असाधारण मामलों में भूतलक्षी पदोन्नति निषिद्ध नहीं है, हालांकि, जब तक रिक्ति के विशेष रूप से उत्पन्न होने की तिथि से पदोन्नति को भूतलक्षी रूप से लागू करने की अनुमति देने वाले नियम मौजूद नहीं हैं, तब तक ऐसी स्थिति नहीं हो सकती है जहां पदोन्नति भूतलक्षी रूप से दी जा सके।

18. वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता दिनांक 21.04.2014 के 'संशोधित आईआरसीटीसी पदोन्नति नीति व नियम - 2014' के खंड 4.6 पर भरोसा करता है, जिसे निम्नलिखित रूप से उद्धृत किया गया है: -

> *"4.6 रिक्तियों का निर्धारण प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई को किया जाएगा। रिक्तियों का निर्धारण निम्नानुसार किया जाएगा:-*
> *(क) वर्ष के 1 जुलाई को मौजूद।*
> *(ख) उक्त समूह की उच्च श्रेणी में मौजूद रिक्तियां।*
> *(ग) अगले एक वर्ष में उक्त समूह के ग्रेड एवं उच्चतर ग्रेड में प्रत्याशित रिक्तियां।*
> *(घ) अनपेक्षित परिस्थितियों को पूरा करने के लिए ग्रेड में 20 प्रतिशत पद।*
>
> *पात्रता की अंतिम तिथि वर्ष की पहली जुलाई होगी।"*

पदोन्नति नीति के उपरोक्त खंड के अवलोकन से यह स्पष्ट हो जाता है कि अधिकारियों को उन रिक्तियों का निर्धारण करना है जो प्रत्येक वर्ष दिनांक 1 जुलाई को उत्पन्न होंगी और पात्रता की अंतिम तिथि उक्त वर्ष की 1 जुलाई होगी। इसके अलावा, उपरोक्त खंड में ऐसा दूर-दूर तक कोई संकेत नहीं है, जिसका अर्थ यह लगाया जा सके कि यदि पदोन्नति या डीपीसी उस वर्ष की 1 जुलाई की किसी आगामी तारीख को आयोजित की जाती है, तो वह या तो उस तारीख से संबंधित होगी जब रिक्ति उद्भूत हुई थी या उस वर्ष की 1 जुलाई से संबंधित होगी। यह तर्क कि खंड 4.6 के संयुक्त पठन से यह संकेत मिलता है कि नियम की स्थिति में विभाग/प्रत्यर्थीगण को रिक्ति उत्पन्न होने की तिथि से या उस वर्ष की 1 जुलाई से पूर्वव्यापी रूप से पदोन्नति देने की आवश्यकता होती है, उपरोक्त पदोन्नति नीति नियम, 2014 के संबंध में कोई अन्य नियम

या विनियमन आदि उक्त तर्क का समर्थन करने हेतु नहीं दर्शाये गए थे, इसलिए इसे अस्वीकार किया जाता है।

19. इसमें कोई संदेह नहीं है कि जब खंड 4.6 इंगित करता है कि पात्रता की अंतिम तिथि उस वर्ष की 1 जुलाई होगी, तो यह केवल उन व्यक्तियों को अपने दायरे में लेगा जो अगले उच्च ग्रेड में पदोन्नति हेतु विचार किए जाने के पात्र थे और उस वर्ष की 1 जुलाई को पात्र थे, चाहे उस तिथि से पहले रिक्ति कभी भी उद्भूत हुई हो।

20. हालांकि, याचिकाकर्ता ने मुख्य रूप से एलडीसीई में भाग लेने के लिए पात्र कर्मचारियों को आमंत्रित करने वाली दिनांक 13.11.2023 की अधिसूचना/परिपत्र को चुनौती दी थी हालांकि, ई-1 से ई-2 ग्रेड अधिकारी के पद पर दिनांक 24.02.2023 के पदोन्नति आदेश को उचित चुनौती नहीं दी गई थी। हालांकि, श्री मित्तल ने यह प्रस्तुत करने हेतु प्रार्थना के खंड (ख) सहित आधार ग व घ का भी उल्लेख किया था कि पदोन्नति आदेश को भी चुनौती दी गई थी, हालांकि, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित उपरोक्त विधि को ध्यान में रखते हुए पदोन्नति आदेश महत्वहीन हो जाएगा।

21. प्रत्यर्थी का मामला है कि रिक्तियों के लिए अधिसूचना 29.11.2022 को जारी की गई थी, उसकी लिखित परीक्षा 23.12.2022 को आयोजित की गई थी तथा परिणाम दिनांक 30.12.2022 को घोषित किए गए थे। याचिकाकर्ता वरिष्ठ कार्यपालक (ई-1) से सहायक प्रबंधक (ई-2) ग्रेड में पदोन्नति हेतु

लिखित परीक्षा में सफल रहे थे और याचिकाकर्ता को दो अन्य अभ्यर्थियों सहित प्रत्यर्थी द्वारा दिनांक 20.02.2023 के आदेश द्वारा बाद में पदोन्नत किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के उपरोक्त विधि को लागू करने पर, यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता को दिनांक 20.02.2023 को पदोन्नत किया गया था तथा याचिकाकर्ता को कोई भूतलक्षिता नहीं दी जा सकती थी।

22. उपरोक्त निष्कर्ष के बाद, यह स्पष्ट है कि दिनांक 13.11.2023 के परिपत्र में निर्धारित न्यूनतम पात्रता श्रेणी/ग्रेड में एक वर्ष की सेवा की पात्रता शर्त, याचिकाकर्ता द्वारा पूरी नहीं की जा सकती थी तथा इसलिए वे उपरोक्त परिपत्र के तहत आने वाली एलडीसी परीक्षा के लिए आवेदन करने या उसमें शामिल होने के पात्र नहीं होंगे।

23. ***एन. आर. बनर्जी (पूर्वोक्त), पी. एन. प्रेमचंद्रन (पूर्वोक्त)*** तथा ***निर्मल चंद भट्टाचार्जी (पूर्वोक्त)*** के मामले में याचिकाकर्ता ने जिन निर्णयों पर भरोसा किया, वे विभिन्न तथ्यों पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय थे और उक्त निर्णयों में से किसी में भी सर्वोच्च न्यायालय ने इस मुद्दे पर विचार नहीं किया कि क्या पदोन्नति भूतलक्षी रूप से दी जा सकती है या नहीं दी जा सकती है और इस तरह यह वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होती है। ***पी. एन. प्रेमचंद्रन (पूर्वोक्त)*** के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय उन मामलों में भूतलक्षी पदोन्नति के मुद्दे पर विचार कर रहा था जहां डीपीसी की बैठक लंबित रहने तक अस्थायी आधार पर पदधारियों को पदोन्नत किया गया था,

डीपीसी को हालांकि अत्यधिक विलंब से आयोजित किया जा रहा था और ऐसी विशिष्ट परिस्थितियों में कहा गया था कि डीपीसी की बैठक बुलाने में देरी उन याचीगण को पूर्वव्यापी पदोन्नति देने से वंचित नहीं कर सकती थी। ***एन. आर. बनर्जी (पूर्वोक्त)*** का मामला डीपीसी की बैठक में देरी के संबंध में था और यह कि इस तरह की देरी कर्मचारियों को उनकी भविष्य की पदोन्नति, एसीआर आदि के संबंध में कैसे प्रभावित करती है। सर्वोच्च न्यायालय ने विभागों के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत निर्धारित किए थे कि प्रत्येक वर्ष डीपीसी का संचालन कैसे किया जाना चाहिए।

24. वर्तमान मामले में, दिनांक 01.07.2022 पर रिक्तियों को उक्त वर्ष में ही अधिसूचित किया गया था तथा ई-2 ग्रेड का पदोन्नति पद चयन पद होने के कारण याचिकाकर्ता द्वारा पहले लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करने के अधीन था और अंततः वह दिनांक 30.12.2022 को सफल रहा। उक्त पद पर पदोन्नति याचिकाकर्ता को दिनांक 20.02.2023 के आदेश के माध्यम से दी गई थी। इस न्यायालय को नहीं लगता कि प्रत्यर्थीगण की ओर से कोई देरी हुई है।

25. वर्तमान मामले में उठाए गए विवाद्यक ***मनप्रीत सिंह पूनम (पूर्वोक्त), के. के. वढेरा (पूर्वोक्त) व एन. सी. मुरली (पूर्वोक्त)*** के निर्णयों द्वारा स्पष्ट रूप से विचार किया गया है।

26. उपरोक्त विश्लेषण एवं निष्कर्षों के परिणामस्वरूप, यह न्यायालय वर्तमान याचिका में कोई गुणागुण नहीं पाता है तथा इसे जुर्माने के संबंध में बिना किसी आदेश के खारिज किया जाता है।

27. लंबित आवेदन का भी निपटान किया जाता है।

न्या. तुषार राव गेडेला

15 जनवरी, 2024
अज/आर. एल.

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा| समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*